-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :- 61 / 2014

उनवान

फकरूददीन बनाम इस्लामुददीन

आवेदन पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 1 इस्लामुददीन का नाम तर्क करने बाबत।

-: आदेश :-

दिनाँक - 22.7.14

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस भाई प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पूर्व में ही रिकार्ड में है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी / अप्रार्थी ने जवाब पेश नही कर सीधी बहस करनना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवकतागण की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा उक्त प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिस प्रतवादी संख्या 2 व 3 रिकार्ड पर है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब नही पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस है तो इस बाबत भी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र को कोई ठोस खण्डन नही होने के कारण प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व होते है।

अतः वादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 61/2014

उनवान

1. फकरूद्दीन पुत्र बशीर खां,
2. अमरूद्दीन पुत्र बशीर खां,
3. सलमा पुत्री बशीर खां जाति मुसलमान नि. कन्या शाला स्कूल के पास, रामसर नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. इस्लामुद्दीन पुत्र सवाई खां नि. कन्या शाला के पास, रामसर हाल देशवाली मदरसा के पास सरवाड **(तर्क)**
2. निजामुद्दीन पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान भुट्टा, नि. कन्या शाला के पास, रामसर नसीराबाद,
3. रफीक पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान भुट्टा, नि. कन्या शाला के पास, रामसर नसीराबाद, हाल नि. सदर गली नूर मस्जिद के पास चमडा घर मदनगंज किशनगढ
4. शाबू पत्नी अहमद नूर खां,
5. नजीर खां,
6. वजीर खां,
7. पीर मौहम्मद पि. अहमद नूर खां,
8. अब्दुल रशीद,
9. अब्दुल मजीद,
10. सलीम खां,
11. सिराजुद्दीन,
12. शाईना पुत्र बशीर खां, जाति मुसलमान देशवाली नि. ईटो के पास, रामसर, नसीराबाद.
13. एमनी पुत्री अहमद नूर खां जाति मुसलमान
14. महमूदा पुत्री अहमद नूर खां
15. शरीफा खां पुत्री अहमद नूर खां,
16. खुर्शीदा पुत्री अहमद नूर खां जाति मुसलमान नि. सीताराम जी के ईटो के भट्टे के पास, रामसर, नसीराबाद,
17. समन नूर खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान नि. कन्या शाला के पास, रामसर, नसीराबाद,
18. इस्लामुद्दीन,
19. इमामुद्दीन,
20. सदरूद्दीन,
21. नूरजंहा,
22. रमजी,
23. शहनाज पि. नूर मौहम्मद खां जाति [illegible] रामसर, नसीराबाद,
24. उप पंजीयक, नसीराबाद,
25. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested

--प्रतिवादीगण :- 24 व 25 जरियें राज. पैरोकार
शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :- दिनांक :- 4.10.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5100 के वंर्किग खसरा नम्क्बर 6554 रकबा 5-4-0 के हाल खसरा नम्बर 8752 रकबा 0.43 व 8753 रकबा 0.44 में से 0.41 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 635 में बशीर व नूर मौहम्मद पि. खुदादीन के नाम दर्ज है जिसमें दोनो खातेदार का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 575 में दर्ज है। आराजी मुतनाजा का बैचान जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.04.1980 को नूर मौहम्मद पुत्र खुदादीन, समन नूर स्वयं व बहैसियत वली भाई फकरूददीन, अमरूददीन पि. बशीर खां के द्वारा अहमद नूर को बैचान किया गया। उक्त विकय पत्र में समन नूर को अपने नाबालिग भाई फकरूददीन व अमरूददीन का हिस्सा बैचान करने का कोई अधिकार नही होने से विकय पत्र शून्य है। वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5-5-0 की सम्पूर्ण आराजी अहमद नूर के नाम नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 01.009.1985 से दर्ज ककी गयी जो कि अवैध व शून्य है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 16 को घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम तर्क किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया तथा वाद विचारण के दौरान अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होनने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ? -- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ? -- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा वादी फकरूददीन का शपथ पत्र पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने एआईआर 1971 सर्वोच्च न्यायालय 2184 वी 58 वी 458 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत [illegible] का [illegible] अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर [illegible] किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 87[illegible] रकबा 0.43 व 8753 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested

0.44 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 5100 का कुल रकबा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 161–10–0 है। चौसाला खसरा नम्बर के वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–4–0 के अतिरिक्त अन्य कई वंर्किग खसरा नम्बर बने है। वादीगण द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 6554 का वाद ही प्रस्तुत किया है। चौसाला खसरा नम्बर 5100 रकबा 3–0–0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 प्रर्दश 5 में बशीर पुत्र खुदादीन के नाम व इसी जमाबंदी में फर्द न. 297 से चौसाला खसरा नम्बर 5100 रकबा 15–0–0 बशीर व नूर मोहम्मद पि. खुदादीन के नाम अंकित है। प्रर्दश 12 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में चौसाला खसरा नम्बर 5100 रकबा 15–0–0 बशीर व नूर मोहम्मद पि. खुदादीन के नाम अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–2–0 का 1/2 हिस्सा जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.04.1980 को नूर मौहम्मद पुत्र खुदादीन, समन नूर स्वयं व बहैसियत वली भाई फकरूददीन, अमरूददीन पि. बशीर खां के द्वारा अहमद नूर को बैचान किया गया। वंर्किग जमाबंदी प्रदर्श 17 के खाता संख्या 575 में वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–7–0 बशीर व नूर मौहम्मद पि. खुदादीन के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 01.09.1985 से उक्त खसरा नम्बर खातेदार के स्थान पर केता अहमद नूर के नाम दर्ज होने का अंकन है। साथ ही वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 575 में वंर्किग खसरा ननम्बर 6554 रकबा 5–7–0 के आगे सिवायचक आवंटन का नोट भी अंकित है। उक्त खातें से कुल 9–2–0 सिवासचक दर्ज की गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–7–0 सिवायचक करने के बाद वंर्किग जमाबंदी प्रर्दश 17 के खाता संख्या 1369 में वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–7–0 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस्लामुदीन, निजामुदीन, रफीक पि. सवाई के नाम आवंटित कर गैर खातेदारी दर्ज की गयी तथा नामान्तकरण संख्या 640 दिनांक 25.04.2005 से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नम्बर 6554 रकबा 5–7–0 वंर्किग जमाबंदी में पूर्व में सहवन से बशीर व नूर मोहम्मद पि. खुदादीन के नाम अंकित होने के बाद पुनः सिवायचक दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आवंटित की गयी तथा कब्जे के आधार पर खातेदारी दी गयी। वादीगण ने अपने वाद में उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई तथ्य स्पष्ट नही किये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आराजी मुतनाजा के आवंटन के विरूद्ध कोई चाराजोही भी वादीगण द्वारा नही की गयी है। चौसाला खसरा नमबर 5100 की आराजी बशीर व नूर मोहम्मद पि. खुदादीन के नाम अंकित थी किन्तु चौसाला खसरा नम्बर का कुल रकबा 161–10–00 है। वादीगण द्वारा उक्त रकबे के समस्त वंर्किग व हाल खसरा नम्बर की स्थिति भी स्पष्ट नही की है। प्रतिवादी संख्या 1 इस्लामुददीन ने एक शपथ पत्र पेश किया है जिसमें आराजी मुतनाजा उसके नाम त्रुटि से अंकित होने व भूमि पर उसका कब्जा नही होने का अंकन है। किन्तु आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आवंटन होने के बाद कब्जे के आधार पर खातेदारी दी गयी है अतः आवंटन निरस्त नही होने तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ही उक्त आराजी के खातेदार है। वादीगण ने अपने वाद में विकय पत्र को त्रुटिपूर्ण बताया है किन्तु आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नही होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है। तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 [illegible] आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नही होता है। [illegible] खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 [illegible] के रिकार्डेड खातेदार है, बिना खातेदारी अधिकार वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी नि[illegible]ज्ञा प्राप्त करने के भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नही है। तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8752 रकबा 0.43 व 8753 रकबा 0.44 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

फकरूद्दीन बनाम इस्लामुद्दीन

दावा बाबत :– 88, 91, 92ए, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 61/2014
पेश करने की दिनांक – 01.05.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुददई नौरतमल जैन अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8752 रकबा 0.43 व 8753 रकबा 0.44 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 4 माह जून 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:02:19 IST
Reason: SelfAttested